

1

FA-869-2023

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT GWALIOR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE ASHISH SHROTI ON THE 17th OF APRIL, 2025

FIRST APPEAL No. 869 of 2023

JASWANT SINGH S/O LATE SHRI SARDAR SINGH (DIED) THROUGH LEGAL HEIRS AND OTHERS

Versus

SMT KAMLADEVI AND OTHERS

Appearance:

Smt. Rashi Kushwaha- learned counsel for the appellants.

Shri Rahul Yadav- learned counsel for the respondents.

<u>ORDER</u>

IA No.2056/2025 which is an application under Order 23 Rule 3 of CPC.

As per the averments made in the application, parties to the appeal have entered into the mutual settlement as per the terms mentioned in para 2, 3 and 4 of the application.

The terms of settlement has been verified by the Principal Registrar of this Court.

Accordingly, judgment and decree passed by the lower Court is setaside and the suit is disposed of in the following terms:-

"2. यह कि , पक्षकारों के मध्य यह तय किया गया है कि वादी/अपीलार्थीगण द्वारा जो सम्मपत्ति दिनांक 22.09.1993 को रजिस्ड्र्रई विक्रय पत्र से क्रय की गई थी जो अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख में प्रदर्श पी-8 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है उसके अनुसार वादी/अपीलार्थीगण उस पर काबिज होकर स्वत्व स्वामित्व व



2 FA-869-2023

अधिपत्यधारी हैं, और वह अपना नाम स्वत्व स्वामित्वधारी के हैसियत से नगर पालिका अभिलेख एवं अन्य जहां भी आवश्यकता हो कराने के अधिकारी है। जिससे प्रतिवादी/प्रत्यार्थीगण को आपित नहीं है न होगी।

- 3. यह कि, वादी/अपीलार्थीगण द्वारा जो सम्मपति क्रय की गयी थी उससे प्रतिवादीगण/प्रतिअपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है न ही प्रतिवादीगण/प्रत्यार्थीण का कब्जा है, न ही भविष्य में उनके द्वारा उक्त सम्पत्ति पर कोई दावा किया जावेगा। तथा प्रत्यार्थीण को उक्त विक्रय पत्र दिनांक 22.09.1993 में उल्लेखित सम्पत्ति से कभी भी किसी प्रकार का लेना-देना है और न रहेगा।
- 4. यह कि, पक्षकारों का जो भी खर्चा हुआ था वह आपस में लेन-देन कर लिया गया है अत: कोई खर्चा अब शेष नहीं है।"

In view of the aforesaid compromise, the instant first appeal is disposed off. Decree be drawn accordingly.

(ASHISH SHROTI) JUDGE

rahul